कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email id: nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांकः– 2784 / FP/UK/ROA/67235/2021 दिनॉकःदेहरादून 02. जून, 2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25–सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः– जनपद पिथौरागढ़ अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र धारचूला के दोबाट रांथी हल्का वाहन मार्ग के निर्माण हेतु 5.175 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (Online No- FP/UK/ROA/67275/2021)।

सन्दर्भः– भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून का पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/119/2021/एफ0सी0/843 दिनांक 19.09.2022।

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित आर0ई0सी0 बैठक दिनांक **19.09.2022** द्वारा चाही गयी कतिपय बिन्दुओं की सूचना वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा के पत्रांक 3174/12–1(2) दिनांक 19–05–2023 से प्राप्त आख्या के क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित बिन्दुवार सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है :–

क्र.स.	लगाई गई आपत्ति	आपत्ति का निराकरण
1	बिन्दु संख्या–03 के सन्दर्भ में राज्य सरकार द्वारा पूर्व में निर्मित 3–4 .मीटर चौड़ाई पर कच्चे मार्ग की स्थिति के सन्दर्भ में अवगत किया है कि इस मार्ग हेतु एफ.सी.ए. 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत स्वीकृति नहीं ली गई है। अतः राज्य सरकार यह स्पष्ट करे कि यदि यह कच्चा मार्ग 1980 से पूर्व में ही निर्मित है तो इसे पुष्ट करने हेतु SoI Toposheet की इंगित प्रति इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करे।	प्रभाग अन्तर्गत संधारित रिकॉर्ड के अनुसार विषयक मोटर मार्ग में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्राप्त है। रिकॉर्ड में उल्लेखित विवरण के अनुसार भारत सरकार के पत्रांक 8बी/09/711/94/एफ0सी0सी/1429 दिनांक 09.11.1995 तथा उ0प्र0 शासन का पत्रांक जी0आई0 405/14–2–95–600(48)/1994 दिनांक 03.01.1996 द्वारा **रांथी तक हल्के वाहन मार्ग** नाम से **3.75 हे0** सिविल भूमि की स्वीकृति प्राप्त है। (विवरण की प्रति संलग्न)
2	मलुवा निस्तारण क्षेत्र यदि गैर वन भूमि में ली गई है तो वर्तमान में उल्लेखित 1.192 हे0गैर वन भूमि तथा मलुवा निस्तारण हेतु चयनित नापभूमि को जोड़ते हुए अर्थात 1.192+0.2=1.392 हे0 को यथानुसार ऑनलाइन पोर्टल पर संशोधन करने का कष्ट करे।	प्रस्तावक विभाग द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर संशोधन कर सही सूचना अंकित कर दी गई हैं।
3	बिन्दु संख्या–02 के सन्दर्भ में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा	सी0ए0 हेतु नवीन क्षेत्र चयनित कर पार्ट 01 में ऑनलाईन

	सीए० हेतु नया क्षेत्र चयनित कर प्रस्तुत किया गया है, जिसके डी०एस०एस० के उपरान्त सम्पूर्ण क्षेत्र एन०डी० एफ० पाया गया है। अतः राज्य सरकार से अनुरोध है कि सीए० हेतु अन्य क्षेत्र प्रस्तावित कर इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करे।	अपलोड कर दिया गया है। उक्त के टोपोशीट मैप/जिओ रिफरेन्स मैप संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अतः वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर के कम में प्रश्नगत प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(एस०एस० रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण

संख्या 2784 / FP/UK/ROA/67235/2021 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा के पत्रांक 3174/12–1(2) दिनांक 19–05–2023 के क्रम में।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ वन प्रभाग, पिथौरागढ।

02/6/23

(एस०एस० रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण